सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 17, सोमवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 09, 2023 *Asvina 17, Monday , Saka 1945- October 09, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 07, 2023

जी.एस.आर.154 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

2	चयन वेतनमान	-	100 प्रतिशत	-	वरिष्ठ वेतनमान	वरिष्ठ वेतनमान के पद पर नियुक्त सेवा का सदस्य और सेवा के सदस्य के रूप में 10 वर्ष की कुल सेवा।	-

"

[संख्या एफ.1(3)कार्मिक/क-2/2007]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr. II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 07, 2023

G.S.R.154 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Rural Development State Service Rules, 2007, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Rural Development State Service (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of the Schedule.-** In the Schedule appended to the Rajasthan Rural Development State Service Rules, 2007, the existing serial number 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

2.	Selection Scale	-	100%	-	Senior Scale	Member of service who has been appointed on senior scale post and completed 10 years' service in all as a member of the service	-

"

[No. F. 1(3) DOP/A-II/2007]
By Order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.